



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265015
CG-DL-E-28072025-265015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3363]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3440(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-921 पर महवा-मण्डावर से राजगढ़ (बाईपास सहित) तक चार लेन बनाने हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-921 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपखण्ड अधिकारी रेणी, अलवर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH921 के कि.मी	राजस्थान	अलवर	रेणी	1 पिनान 2 भैडौली 3 झाँकड़ा 4 गढ़ी सवाईराम

		24 से कि.मी 46.2 तक				5	नांगल गंगागुरु
						6	घटवाड़ी
						7	डोरोली
						8	लपाला
						9	नयागांव माचाडी
						10	आँदवाडी
						11	माचाडी
2	उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, अलवर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH921 के कि.मी 46.2 से कि.मी 50.25 तक	राजस्थान	अलवर	राजगढ़	1	डाबलामेव
						2	डाबला मीणा
						3	जिरावली
						4	मुरलीपुरा
						5	कोठी नारायणपुर
						6	कल्याणपुरा
3	उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, अलवर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH921 के कि.मी 19 से कि.मी 24 तक	राजस्थान	अलवर	लक्ष्मणगढ़	1	अन्तापाडा
						2	खेडा मंगल सिंह
						3	अमरपुर
						4	बिखाहेडी कलां
						5	बिखाहेडी खुर्द
						6	मूंडिया

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/07]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3440(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 4 laning of Mahwa- Mandawar-Rajgarh (including Bypasses) on NH-921 in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 921 in the State of Rajasthan.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDO Reni, Alwar	NH921 KM 24 TO KM 46.2	RAJASTHAN	ALWAR	Reni	1 Pinan 2 Bhaidoli 3 Jhankra 4 Garhi Sawairam

						5	Nangal Gangagooru
						6	Ghatwari
						7	Doroli
						8	Lapala
						9	Nayagaon Machadi
						10	Andwari
						11	Machadi
2	SDO Rajgarh, Alwar	NH921 KM 46.2 TO KM 50.25	RAJASTHAN	ALWAR	Rajgarh	1	Dabla Meo
						2	Dabla Meena
						3	Jirawali
						4	Murlipura
						5	Kothi Narayanpur
						6	Kalyanpura
3	SDM Laxmangarh, Alwar	NH921 KM 19 TO KM 24	RAJASTHAN	ALWAR	Laxmangarh	1	Antapara
						2	Khera Mangal Singh
						3	Amarpur
						4	Bhikhaheeri Kalan
						5	Bikhaheeri Khurd
						6	Mundiya

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/07]

SHAIKH AMINKHAN, Director